

14.5.18 पञ्जाबली राजस्व लोक अदालत आभेयन, न्याय आपले
 मार-२०१८ में अदल सेवा केन्द्र आसलपुन पेश ईर।
 पक्षकारन उपर टा पक्षकारन सुना गय पञ्जाबली
 को अवलोकन क्रिया। लोक अदालत की भावना से
 उभय पक्ष को मूलवाडके निरुत्तरन तक पाबन्द किय
 जाता है कि वादद्वयत आरजो के मौके एवं रिकार्ड की
 प्रव्यवह स्थिती बनाये रखे जाने हेतु पाबन्द क्रिय
 गया। पञ्जाबली किसल प्रमार टोकर इर्जे नाम्बद से
 क्रमेटो। औदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
 जामरलेक

मुन्शी
 राजु
 साहंरख
 अह्मियात
 ईकप्रियात
 राम गीयात
 मदन मत
 गरीब

1213-2,00,000-07